GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 3397
TO BE ANSWERED ON 25.03.2021

Appointment of Anomaly Committee after the 6th Pay Commission

3397 Dr. Amar Patnaik:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the non-appointment of Anomaly Committee after the 6th Pay Commission has been challenged by teachers of the Central Universities and colleges against UGC/Ministry of Education/respective State higher education departments in various State High Courts and the Supreme Court of India;
(b) the details of orders/judgments passed by respective State High Courts and the Supreme Court of India;
(c) whether the UGC and the Ministry have been made parties to these cases;
(d) the action UGC and the Ministry have taken after receiving these orders/judgments of the courts; and
(e) if no action has been taken, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF EDUCATION
(SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK')

(a) to (e): University Grants Commission (UGC) has informed that it constituted an Anomaly Committee to deliberate on issues concerning the revision of pay scales, eligibility criteria, selection procedure for various posts, etc., under the Chairmanship of Prof. S.P. Thyagarajan on 9th January, 2009. Subsequently keeping in view the communication of Ministry of Education and several representations received from various stakeholders citing anomalies in the provisions contained in the UGC Regulations, 2010 and in order to address these anomalies, the UGC constituted another Committee to revisit UGC Regulations, 2010 under the Chairmanship of Prof. M. Anandakrishnan on 1st December, 2011. This Committee identified 67 areas in the Regulations, 2010 where certain modifications /amendments were required.

The Revisit Committee also appointed a sub committee headed by Prof. A.N. Rai. Thereafter, a Committee under the Chairmanship of Prof. Furqan Qammar was constituted to revisit the financial implication of the Regulations, 2010. The recommendations of Anomaly Redressal Committee (ARC) report were forwarded to the Pay Review Committee (PRC) constituted for 7th Central Pay Commission (CPC).

The Orders / Judgments of the courts are taken up for compliance in light of the extant regulations on case to case basis.

*****

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3397
उत्तर देने की तारीखः 25.03.2021

छठवें वेतन आयोग के पश्चात विसंगति समिति की नियुक्ति

3397. डा. अमर पटनायक:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा छठवें वेतन आयोग के पश्चात विसंगति समिति नियुक्त न किए जाने को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय/संबंधित राज्य के उच्च शिक्षा विभागों के विरुद्ध विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है;
(ख) संबंधित राज्य के उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/निर्णयों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इन मामलों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मंत्रालय को प्रतिवादी बनाया गया है;
(घ) न्यायालयों से इन आदेशों/निर्णयों को प्राप्त करने के पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मंत्रालय द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई है; और
(ड.) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.):विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि उसने 9 जनवरी, 2009 को प्रोफेसर एस पी त्यागराजन की अध्यक्षता में विभिन्न पदों के लिए वेतनमानों के पुनरीक्षण, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया आदि के विषय में विचार-विमर्श करने के लिए एक विसंगति समिति का गठन किया। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय के पत्र व्यवहार को ध्यान में रखते

हुए और यूजीसी विनियम, 2010 में निहित प्रावधानों में विसंगतियों का हवाला देते हुए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए, यूजीसी ने यूजीसी विनियम, 2010 की फिर से जांच करने के लिए एक और समिति का गठन 1 दिसंबर, 2011 को प्रो एम आनंदकृष्णन की अध्यक्षता में किया। इस समिति ने विनियम, 2010 में 67 क्षेत्रों की पहचान की जहां कुछ संशोधनों / परिवर्तनों की आवश्यकता थी।

जांच समिति ने भी प्रो. ए. एन. राय की अध्यक्षता में एक उप समिति की नियुक्ति की। इसके बाद, प्रो फुरकान क़मर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन विनियम, 2010 के वित्तीय निहितार्थ पर दोबारा विचार करने के लिए किया गया था। 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के लिए गठित वेतन समीक्षा समिति (पीआरसी) को विसंगति निवारण समिति (एआरसी) की रिपोर्ट की सिफारिशें भेजी गईं।

न्यायालयों के आदेश / निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर मौजूदा विनियमों को ध्यान में रखते हुए अनुपालन के लिए उठाए जाते हैं।

******